भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

विषय: अनुमोदित श्रम-संबंधी मामलों में शोध करने के लिए शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए सहायता अनुदान।

~~~~~

पृष्ठभूमि:

अनेक प्रतिष्ठित शोध और शैक्षणिक संस्थान और स्वयंसेवी संगठन तथा स्वायत्तशासी निकाय श्रम संबंधी मामलों में शोध अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता/सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास प्रस्ताव आते हैं। मंत्रालय विकास प्रयासों और श्रम नीतियों के निर्धारण में इन संस्थाओं और संगठनों की भूमिका को मान्यता देता है।

उद्देश्य:

2. समय के बदलाव के साथ-साथ सरकार की श्रम नीति को गतिशील रखने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और आवश्यक संशोधनों पर विचार करने के लिए समय-समय पर नीति गत सहयोग हासिल करने की दृष्टि से , यह शोध/अध्ययन श्रम संबंधित विषयों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही और इसी को दृष्टिगत रखते हुए , इस प्रकार की शोध/अध्ययन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ऐसे शोध और शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों या स्वयंसेवी संगठनों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना/कार्यक्रम होना आवश्यक माना जाता है। यह भी महसूस किया गया है कि उन्हें अस्थायी आधार पर संसाधन उपलब्ध कराना उचित नहीं है। इसलिए , मंत्रालय द्वारा बताये गए विषयों पर शोध परियोजना बनाने सहित अध्ययन/शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए , परियोजना कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में मानदंड निर्धारित करने के स्थान पर एक योजनागत स्कीम है, जिसके द्वारा ऐसे निकायों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
~~~~~

विस्तार:

3. यह योजना श्रम नीति के प्रबंधन और कार्यान्वयन पहलुओं पर सीधा प्रभाव डालने वाले शोध और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के वित्तपोषण के लिए प्रत्येक प्रस्ताव की योग्यता के आधार पर पात्र शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनोंको वित्तीय सहायता प्रदान के लिए लक्षित है। वित्तपोषित अध्ययनों का ऐसे विषय के पर होना आवश्यक है जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए उपयोगी हों।

योजना के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी दो तरह के प्रस्तावों के वित्त पोषण पर विचार किया जाएगा। ब्यूरो प्रमुखों द्वारा सुझाए गए मांग आधारित प्रस्ताव आंतरिक प्रस्ताव होंगे, जिसे बाद में जांच और संबंधित विषय वस्तु के ब्यूरो प्रमुखों की टिप्पणियां प्राप्त करके, सदस्यों के रूप में ब्यूरो प्रमुखों और एफ .ए. के साथ सचिव (एल एंड ई) की अध्यक्षता में जांच समिति की विवेचना और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। किसी संस्था द्वारा स्व-प्रेरित आदर्श वाक्य का प्रस्ताव पेश किया जाना बाहरी प्रस्ताव होगा, जिसे बाद में जांच और संबंधित विषय वस्तु के ब्यूरो प्रमुखों की टिप्पणियां प्राप्त करके, सदस्यों के रूप में ब्यूरो प्रमुखों और एफ.ए.के साथ सचिव (एल एंड ई) की अध्यक्षता में जांच समिति की विवेचना और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

इस योजना का विस्तार उपलब्ध कराये जाने वाले सेमिनार, कार्यशालाओं आदि के वित्तपोषण के लिए भी विस्तारित किया जाएगा, जो कि एक पूर्ण विकसित शोध अध्ययन के अंग हैं। हालांकि, ऐसे सेमिनार/कार्यशालाएं कार्यात्मक और मुख्य शोध अध्ययन अर्थात् विषय से संबंधित होने चाहिए; उदाहरणार्थ इसे अध्ययन के लक्ष्यों को पूरा करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया हो। योजना की प्रत्येक पांच वर्षों के बाद समीक्षा की जा सकती है।

योग्यता:

4. निम्नलिखित श्रेणियों की शोध एवं शैक्षणिक संस्थाएं और गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठन योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य होंगे:

(i) श्रम संबंधी मामलों में शोध में लगे हुए प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता समूहों सहित स्वैच्छिक संगठन और गैर सरकारी एजेंसियां;

(ii) मानद विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों वाले विश्वविद्यालय;

(iii) सरकारी या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि श्रम शोध में लगे हुए हों।

(iv) नियोक्ता और कर्मचारियों वाले संगठनों सहित व्यावसायिक संगठन जो कि श्रम के क्षेत्र में काम कर रहे हों;

(v) प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर शैक्षणिक और व्यावसायिक/शोध संस्थान जो विश्वविद्यालयों से संबद्ध अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और मान्यता प्राप्त हैं।

5. इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने की योग्यता के लिए संस्थानों को केन्द्रीय/राज्य विधानमंडल के किसी क़ानून के तहत या एक ट्रस्ट के रूप में या तो स्थापित किया गया हो या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 1860 या समकक्ष अन्य कानूनों के तहत पंजीकृत किये गए हों। ये सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि से कम से कम तीन साल की अवधि पूर्व से कार्यरत होने चाहिए। सहायता के इच्छुक संगठन के पास न्यूनतम रु० 10,000/- नकद हमेशा होना चाहिए। जिससे मंत्रालय द्वारा अनुदान में बिलम्ब की स्थिति में किसी भी समय काम के मामले में रुकावट न आये।

<u>प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश:</u>

6. मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता संस्था/संगठन आधारित होगी और संस्था/संगठन के प्राधिकृत पदाधिकारी अर्थात् विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार , संगठन के सचिव या अध्यक्ष को जारी किया जाएगा। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को मौजूदा स्थायी कर्मचारियों, अध्ययन के लिए नियुक्त किये जा रहे कर्मचारियों, उनकी मौजूदा वित्तीय स्थिति और अध्ययन/सेमिनार आदि के कुल बजट में वेतन घटक दर्शाते हुए एक वक्तव्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। वेतन घटक सामान्यतया परियोजना की लागत के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, मामले के आधार पर 15% तक की रियायत पर विचार किया जा सकता है।

7. कोई भी शोध और शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी संगठन जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं और अध्ययन कार्य के इच्छुक हैं, उन्हें निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित अध्ययन की एक रूपरेखा के साथ निर्धारित प्रपत्र में श्रम और रोजगार मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा:

(i) **उद्देश्य:** अध्ययन के विस्तृत उद्देश्यों के साथ-साथ संकेंद्रित एवं उन्मुख होना।

(ii) प्रामाणिकता/प्रासंगिकता: प्रस्तावित गतिविधि के श्रम और रोजगार के कार्य में योगदान की व्याख्या करते हुए एक संक्षिप्त लेख संलग्न करना होगा जो कि 300 शब्दों से अधिक न हो।

(iii) **दृष्टिकोण एवं कार्य-प्रणाली:** वह सीमा जिसमें अध्ययन प्रतिक्रियात्मक या आनुभविक है—क्या यह प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए लक्षित है और यदि हां , तो क्या यह किसी नमूना सर्वेक्षण या किसी केस अध्ययन ; प्रासंगिक स्रोतों या आवश्यक डेटा पर आधारित है, यदि उपलब्ध डेटा का उपयोग परिकल्पित है।

(iv) **डेटा संग्रह और विश्लेषण का विवरण**: अवधारणाओं, परिभाषाओं, महत्वपूर्ण प्रभावकारी वस्तुओं, नमूना डिजाइन (यदि आवश्यक हो) , कार्यक्रम/प्रश्नावली की व्यापक सामग्री (यदि प्रासंगिक हो) , विश्लेषण का ढंग , सारणीयन कार्यक्रम और रिपोर्ट के अध्याय योजना का सारांश (अगर संभव हो)।

(v) **परियोजना अवधि**: रिपोर्ट का अध्ययन और प्रस्तुतिकरण को पूरा करने की समय सीमा आम तौर पर 4 से 6 महीने के बीच होगी, जिसे अध्ययन की प्रकृति और विस्तार के आधार पर विशेष मामलों में 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

(vi) **कर्मचारी रखने का तरीका:** सहायक कर्मचारियों की संख्या और प्रकार, प्रति माह पारिश्रमिक और उनकी आवश्यकता की अवधि।

(vii) **बजट:** विभिन्न प्रमुखों/मदों के अंतर्गत विभाजित वित्तीय आवश्यकताओं अर्थात् , वेतन, टी.ए./डी.ए.,स्टेशनरी/फॉर्म एवं रिपोर्ट की प्रिंटिंग, गणना और आकस्मिक व्यय आदि। परियोजना की लागत किफायती होनी चाहिए। एक शोध अध्ययन के लिए लागत की उच्चतम सीमा 6 लाख रुपए तक होगी। अध्ययन में सेमिनारों/कार्यशालाओं आदि के मामले में इसकी लागत अध्ययन की कुल लागत का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(viii) **कर्मचारियों का बायोडाटा** : परियोजना निदेशक और अध्ययन से जुड़े अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता , शोध प्रकाशनों व शोध अनुभव के बारे में उनकी जानकारी।

(ix) **नए प्रस्तावों की जांच**: अध्ययन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए जांच समिति की द्विवार्षिक बैठकें आयोजित करना प्रस्तावित है। सभी आंतरिक और बाहरी प्रस्तावों को बाद में जांच और संबंधित विषय वस्तु के ब्यूरो प्रमुखों की टिप्पणियां प्राप्त करके, सदस्यों के रूप में ब्यूरो प्रमुखों और एफ.ए. के साथ सचिव (एल एंड ई) की अध्यक्षता में जांच समिति की विवेचना और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

एसोसिएशन का स्वरुप:

8. (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय अध्ययन से संबंधित अनुदान सहायता के रूप में निम्नलिखित अनुमोदित वस्तुओं पर व्यय वहन करेगा:

(i) परियोजना के कर्मचारियों/व्यक्तिगत शोधकर्ताओं के लिए पारिश्रमिक।

(i i) परियोजना कर्मचारी/व्यक्तिगत शोधकर्ता/स्वयंसेवक के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता।

(i i i) स्टेशनरी और प्रश्नावली, कार्यक्रम और फॉर्म की प्रिंटिंग।

(i v) आकस्मिकताएं।

(v) अंतिम रिपोर्ट की प्रिंटिंग।

(vi) अध्ययन की कुल लागत का 15% उपरिव्यय/सेवा शुल्क की अनुमति दी जाएगी।

(ख) सेमिनारों/कार्यशालाओं के मामले में सेमीनार के कागजात और कार्यवाही की तैयारी और उनके प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रतिबंधित होगी; पदाधिकारियों के उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण पहलुओं को अध्ययन में शामिल किया जाएगा।

(ग) इस योजना के अंतर्गत , किसी भी मामले में , अनुदान ग्राही संस्थान द्वारा संपत्ति/बुनियादी सुविधाओं के उपार्जन के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

सहयोग की राशि:

9. मंत्रालय और शोध संगठन द्वारा अध्ययन की कुल लागत 75:25 के आधार पर वहन किया जाएगा अर्थात् शोध परियोजना लागत का 25% शोध संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। धनराशि को तीन बराबर किश्तों में जारी किया जाएगा। पहली किश्त अर्थात् मंत्रालय के हिस्से का 1/3 वां भाग, योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद मंत्रालय द्वारा अध्ययन प्रस्ताव के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा। दूसरी किश्त, संस्थान से पूर्व में जारी की गयी धनराशि के सन्दर्भ में प्रगति रिपोर्ट , व्यय विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) की प्राप्ति और पहली किश्त में जारी की गई राशि से कम से कम 75% के उपयोग करने के बाद मंत्रालय में तत्संबंधी उसकी समीक्षा के बाद जारी किया जाएगा। तथापि, पिछली जारी की गयी किश्त के बारे में (i i) अनुदानग्राही संस्थानों को पूर्व की जारी की गयी किश्तों के समुचित उपयोग के उचित साक्ष्य उपलब्ध कराने पर सशर्त जारी किया जाएगा। संस्था/संगठन के लिए अध्ययन के अंत में (जी .एफ.आर. 19ए के अनुसार) एक

उपयोगिता प्रमाण पत्र (एक वित्तीय वर्ष के अन्दरपूर्ण किये गए अध्ययन के लिए) और प्रत्येक किश्त के लिए किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या सोसायटी का सचिव जो संस्थान चलाता हो या इस उद्देश्य के लिए नामित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अलग उपयोगिता प्रमाण पत्र (एक से अधिक वित्तीय वर्ष में विस्तारित होने वाले अध्ययन के लिए) प्रस्तुत करना आवश्यक है। संस्थान को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए खातों का लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करना होगा और (ii) सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, सचिव (एल एंड ई) के द्वारा अंतिम अध्ययन रिपोर्ट की स्वीकृति होनी चाहिए।

<u>नियम और शर्तें:</u>

10. योजना के तहत सहायता प्राप्त किसी भी शोध एवं शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित सामान्य शर्तों का अनुपालन करना होगा:-

(i) सहायता अनुदान उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्वीकृति दी गई है।

(ii) शोध और शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त की गयी अनुदान सहायता के खातों का रखरखाव और सरकारी लेखा परीक्षकों (ऐसे संस्थानों के मामले में, जिनके खाते सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिटेड हैं) या अन्य मामलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा खातों का अंतिम लेखा परीक्षण कराना होगा और अध्ययन के पूरा होने पर मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के संबंध में लेखा और लेखा परीक्षा की व्यवस्था संस्था/संगठन में मौजूद लोगों के रूप में ही किया जाएगा। खातों के उन वर्षों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिनके दौरान अनुदान की किश्तें दी गयी थीं।

(iii) इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित अध्ययन की दिशा में शोध एवं शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता स्वीकार या आवेदन नहीं करना होगा।

(iv) परियोजना प्राप्तियां एवं व्यय के लिए अलग खाता रखा जाएगा यद्यपि शोध एवं शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अन्य गतिविधियों पर किए गए व्यय के साथ कुछ खर्च के मदों को सर्वनिष्ठ रखा जा सकेगा।

(v) शोध एवं शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को अध्ययन पर तिमाही के दौरान विभिन्न मदों में खर्च की गई वास्तविक राशि दर्शाते हुए एक

व्यय विवरण के साथ प्रत्येक तिमाही पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करनी होगी और दोनों को एक साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा।

(vi) इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजना से संबंधित खातों को मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। परियोजना से संबंधित खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके निर्णय पर उनके किसी उम्मीदवार को जांचने के लिए मुक्त होंगे।

(vii) शोध एवं शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को अध्ययन की निर्धारित अवधि के अन्दर अध्ययन को पूरा करने और मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौंपना आवश्यक है।

(viii) योजना/सरकार के स्वीकृति आदेश में वर्णित नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर अनुदान ग्राही को क्षति के साथ परियोजना के लिए स्वीकृत राशि के चेक/बैंक ड्राफ्ट के नकदीकरण की तारीख से जिसे सरकार अपने विवेकाधिकार में ब्याज की गणना के प्रयोजन से तारीख में छूट दे सकती है या एक दिन बाद की तारीख से ब्याज जोड़ा जाएगा, 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित पूरी अनुदान राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ix) किसी अनुदान के जारी करने से पूर्व, अनुदानग्राही को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में दो जमानतदारों के साथ एक बंध पर हस्ताक्षर करना होगा जिसमें अनुदानग्राही को बांड में विनिर्दिष्ट लक्षित तारीख से अनुदान की शर्तों का पालन करना होगा और शर्तों का पालन करने में नाकाम रहने या बंध का उल्लंघन करने पर , अनुदानग्राही और जमानतदार व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति को ब्याज या बांड के तहत निर्दिष्ट राशि के साथ पूरी राशि को लौटाने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्धारित बंध को प्राप्त करते समय जहां अतिरिक्त दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को आवश्यक कहा गया है, ऐसे अनुदानग्राही संगठन जिसके मामले में ऐसे जमानतदारों को मंत्रालय द्वारा आवश्यक नहीं माना जाता है, ऐसे संगठन को इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

(x) अंतिम अध्ययन रिपोर्ट में निम्न तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा - अध्ययन किए जाने के बाद , शोध संगठन को ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा जिसकी संबंधित विषयवस्तु के ब्यूरो प्रमुखों द्वारा जांच की जाएगी। शोध संगठन को प्राप्त की गयी टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को फिर से बनाना होगा और उसके बाद सचिव (एल एंड ई) और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने इसकी प्रस्तुति करनी होगी। अंतिम अध्ययन रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में सचिव (एल एंड ई) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(xi) अनुदानग्राही पर उल्लिखित नियम और शर्तों के किसी के उल्लंघन या स्वीकृति पत्र के उल्लंघन हुआ है के प्रश्न पर श्रम और रोजगार मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी स्वैच्छिक गठनों को अनुमोदित श्रम से संबंधित मामलों में अनुसंधान/अध्ययन करने के लिए अनुदान सहायता को मंजूरी दे दी

<u>आवेदन पत्र</u>

I. संस्थागत विवरण

1. (क) संस्था/संगठन का नामः

   (ख) डाक का पताः

2. परियोजना का शीर्षक

3. संस्था / संगठन की स्थितिः

   (व्यावसायिक संस्थानों, 'नियोक्ता और कर्मचारी संगठनों, डीम्ड विश्वविद्यालय या किसी अन्य विशेष रूप से कहा जा सकता है)

4. संस्था के कार्यों (अधिकारों) की प्रकृतिः

   (टीचिंग, जांच करना, रिसर्च अन्य संगठनों को आर्थिक सहायता)

5. किस ढंग से संस्था/संगठन स्थापित किया गया थाः

   (संसद के अधिनियम, राज्य विधानमंडल

के अधिनियम, के तहत पंजीकृत सोसायटी
पंजीकरण अधिनियम, 1860)

6. (क) यदि निम्न अधिनियम के तहत स्थापित है:

संसद/राज्य विधान, क़ानून की प्रकृति,
अधिनियम की संख्या एवं वर्ष

(ख) यदि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के
तहत स्थापित है पंजीकृत संख्या वर्ष की तिथि

7. यदि अर्द्ध सरकारी संगठन हैः

सरकारी विभाग का नाम है जिससे ये जुड़ी है

8. (क) क्या संगठन की आय का कोई स्रोत है :

(ख) क्या ये कोई मुनाफा कोई नुकसान नहीं:
के आधार पर चलाता है

9. संगठन का संक्षिप्त इतिहास, इसकीः
यदि व्यक्तिगत रूप है, इसके उद्देश्यों
और गतिविधियों/शैक्षणिक उद्यम

10. संगठन को चाहे किसी भी:
मद आई (2) में वर्णित क्षेत्र में
पिछला अनुभव, यदि है , तो तत्संबंधी ब्यौरा

(आवेदन फार्म के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग को योजना के अनुच्छेद 8 में दिखाये विवरण के अनुसार में भरा जाना चाहिए)

II. परियोजना रूपरेखा

1. उद्देश्य :

2. अध्ययन शुरू करने के औचित्य का :
मद आई (2) में उल्लेख किया है

3. योजना उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता :

4. दृष्टिकोण और पद्धति :

5. डाटा संग्रह का विवरण और :

प्रस्तावित विश्लेषण

6. परियोजना पूरी होने का अनुमानित समय :

III. स्टाफ का स्वरूप

1. (a) परियोजना प्रबंधक के नाम :

(b) परियोजना निदेशक द्वारा आयोजित पद :

संगठन में **आइटम I (1)** में और

अन्यत्र उल्लेख किया गया है

(c) परियोजना निर्देशक द्वारा पहले :

आयोजित प्रमुख पद

(d) परियोजना के निर्देशक का :

बायोडेटा (संलग्न किया जाना)

(e) परियोजना निर्देशक की विशेषज्ञता का क्षेत्र :

(f) परियोजना निदेशक के द्वारा पहले पूरी :

की गई परियोजनाएं और उत्तरदायित्व

लेने वाले संगठन

(g) पिछले 3 वर्षों में प्रकाशनों की सूची :

(संलग्न किया जाना)

(h) परियोजना निदेशक की चालू परियोजना :

का नाम उनकी कमीशनिंग एजेंसियों

का नाम

2. अन्य स्टाफ

काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या :

(पदनाम, वेतन, रोजगार की अवधि निर्दिष्ट

की जानी चाहिए), वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंध

में, बायो-डाटा संलग्न किया जाए।

IV. बजट अनुमान

1. निम्न पर व्यय के अनुमान

(i) परियोजना प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक :
स्टाफ/व्यक्तिगत शोधकर्ता आदि

(ii) यात्रा लागत :

(iii) स्टेशनरी और प्रिंटिंग :
प्रश्नावली , फार्म और अनुसूचियों की

(iv) आकस्मिक व्यय :

(v) कम्प्यूटर एवं सारणीकरण :

(vi) रिपोर्ट का मुद्रण :

(vii) ओवरहेड :

कुल

V. अतिरिक्त जानकारी

1. क्या कोई संस्था/संगठन :

   आइटम आई (2) में दिखाए गए प्रोजेक्ट से

   संबंधित किसी अध्ययन से स्वयं अवगत हैं

2. कोई अन्य टिप्पणी :

VI. आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रति के साथ संलग्न किए जाने दस्तावेजों की सूची

1. संस्था के बहिर्नियम और नियम/संविधान :